

पटना में दिनांक-31 जनवरी, 2014 शुक्रवार को अपराह्न 05:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-29, जो बिहार राज्य में 01 फरवरी, 2014 से लागू होने जा रहा है के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में।

1. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2. अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु निदेशालय के गठन के संबंध में।

2. स्वीकृत।